

कार्यालय पंचायत समिति कोलायत, बीकानेर

दिनांक: 20.05.2022

सेवामें,

श्रीमान् नोडल ऑफिसर,
जयपुर

विषय :- Eds Reply of Diversion area 3.66 Hact. of Forest land for Construction of Stadium at Gram Panchyat Kolayat, District Bikaer (Raj.) Proposal No. : FP/RJ/Others/41843/2019 बाबत् ।

संदर्भ:- आपके कार्यालय पत्रांक F 14 () 2021/FCA/PCCF/ EDS-1 दिनांक 01.04.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत सदरभित पत्र के क्रम में निवेदन है कि विभाग द्वारा ऑन लाईन प्रेषित प्रस्ताव Construction of Stadium at Gram Panchyat Kolayat, District Bikaner (Raj.) Proposal No. : FP/RJ/Others/41843/2019 का आप द्वारा परीक्षण करने के उपरान्त आप द्वारा आक्षेप लगाये गये हैं। जिनकी पूर्ति कर प्रस्ताव पुनः अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Sr. No	Shortcomings	Reply
D.	Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined:	
1.	Alternate of the proposal should be explored.	स्टेडियम स्टेट हाइवे-37 पर अवस्थित है तथा एस. एच.-37 सड़क जो कि वन क्षेत्र से गुजरती है। तथा स्टेडियम का सड़क किनारे होना आवश्यक है। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है।
K.	Status of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted	
1.	Undertaking for FRA is uploaded.	वनाधिकार प्रमाण सम्बन्धित अपडरटैकिंग प्रस्तुत कर दी गई है।
	Additional information Details	
1.	The proposal should be marked on revenue map.	प्रस्ताव को रेवेन्यू मैप पर सुपरइम्पोज कर ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
2.	Site plan of the stadium should be uploaded.	स्टेडियम का साइटप्लान अपलोड कर दिया गया है।
3.	No provision of CA and NPV relaxation is available, so revise the AS/FS.	CA and NPV will be paid as per MOEF Guideline. This stadium will be constructed with the help off the local villagers and by the donations only the stadium fund by government of Rajasthan will be utilized as given in AS/FS.
4.	Project report should be given.	प्रजोक्त रिपोर्ट ऑनलाईन अपलोड कर दी गई है।
5.	Land should taken from District Collector for this purpose, why lad is proposed in forest area, please clarify.	यह स्टेडियम सम्पर्क से जोड़ने एवं शहर के समीप होने के कारण प्रस्तावित स्थल का चयन किया गया है।
6.	There is difference in forest block boundary, which should be verified by DCF.	जब हार्डकॉपी प्रस्ताव की जांच की जाएगी तो इसे उप वन संरक्षक के निर्देश द्वारा सुधारा जाएगा।


(दिनेश सिंह भाटी)
विकास अधिकारी
पंचायत समिति, कोलायत